पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–18] रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 फरवरी, 2017 ई0 (माघ 15, 1938 शक सम्वत्) [संख्या–05

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	171–181	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	29–36	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनु0–2

आदेश

20 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 4111/X–2–2016–08(52)/2001–श्री राज्यपाल महोदय, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथासंशोधित वर्ष 2006), की धारा 4(1) (खख) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए, श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर, प्रधान, ग्राम सभा खाला टीरा, न्याय पंचायत औरंगाबाद, ब्लॉक बहादराबाद, जिला हरिद्वार, को इस आदेश के निर्गत होने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए राजाजी टाईगर रिजर्व (देहरादून क्षेत्र) हेतु अवैतनिक वन्य जीव प्रतिपालक (Honorary Wild Life Warden) नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,

मुख्य सचिव।

नियोजन अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

05 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 08/XXVI/दो(21)/2004–तात्कालिक प्रभाव से श्री पंकज नैथानी, संयुक्त निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड को विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर अपर निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, उत्तराखण्ड के पद, वेतनमान ₹ 37,400–67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8,700 पर अस्थायी रूप से पदोन्नति प्रदान किये जाने की, श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

श्री नैथानी को संगत नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा में रखा जाता है।

श्री नैथानी को अर्थ एवं संख्या निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून में अपर निदेशक के रिक्त पद के सापेक्ष तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,

एस0 रामास्वामी,

मुख्य सचिव।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग–2

कार्यालय ज्ञाप

04 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 15/XLI–1/2017–05(प्रशि0)/2008–राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सलाहकार समिति में निम्नांकित तालिका के स्तम्भ–02 में अंकित व्यक्तियों/महानुभावों को उपाध्यक्ष के पद पर तत्काल प्रभाव से नियुक्त किया जाता है:–

क्र0 सं0	नामित व्यक्ति का नाम/पता	पद
1	2	3
1.	श्री फुरकान अली, कस्साबान, ज्वालापुर, जिला हरिद्वार	उपाध्यक्ष
2.	श्री चन्द्रपाल चौहान	उपाध्यक्ष

2. उपरोक्त नामित महानुभावों को उक्त पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक गोपन (मंत्रिपरिषद्) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 509/14/1/XXI/2012–15, दिनांक 04 जून, 2015 के प्रस्तर 1(ग) के अनुसार मानदेय तथा उक्त कार्यालय ज्ञाप में उल्लिखित अन्य सुविधाएँ अनुमन्य की जाती हैं।

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4

कार्यालय ज्ञाप

04 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 1921/XXIV–4/2017–1(1)2016–प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में संस्था प्रधान एवं अध्यापकों की नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम, 2009 के अध्याय–दो में आंशिक संशोधन किये जाने विषयक आपके पत्र संख्या 06(4)/163/24040/2016–17, दिनांक 03 नवम्बर, 2016 के क्रम में श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 के अधीन प्रख्यापित विनियम, 2009 के अध्याय–दो, प्रस्तर–5, 10, 17 एवं परिशिष्ट–घ में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. प्रस्तर–5(2)(ख) में शब्दावली एल0टी0 श्रेणी को विलोपित समझा जाय।
2. प्रस्तर–5(2)(ग)(2) के नीचे प्रस्तर–5(3) निम्नवत् सम्मिलित पढ़ा जाय–

   "5(3) संस्था में कार्मिकों के पदों को भरे जाने हेतु समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा आरक्षण हेतु निर्गत शासनादेशों के अनुसार ही पदों को आरक्षित किया जायेगा"।
3. विनियम के प्रस्तर–10(क) के अन्त में टिप्पणी के आगे निम्न परन्तुक पढ़ा जाए–

   "अनुमति देने से पूर्व छात्र/शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की आवश्यकता के अनुसार सृजित पदों का पुनर्निर्धारण कर लिया जायेगा, तद्नुसार यदि पदों की आवश्यकता है तो प्रथमतः पद सृजन का आदेश प्राप्त कर लिया जायेगा।
4. प्रस्तर–10(घ) में जहाँ–जहाँ पर "जिला शिक्षा अधिकारी", वहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी के स्थान पर "मुख्य शिक्षा अधिकारी" पढ़ा जाय परन्तु प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाईस्कूल के सन्दर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक) पढ़ा जाय।
5. मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए संख्या अधिकतम 07 (सात) होगी परन्तु अन्तिम सातवें अभ्यर्थी के गुण विषयक अंक के समान अंक होने पर उतने अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया जा सकेगा। प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन के लिए साक्षात्कार की सूचना इन सभी माध्यमों, रजिस्टर्ड डाक, ई–मेल, एस0एम0एस0 एवं वेबसाइट पर सूचित किया जाएगा, तद्नुसार प्रस्तर–10(घ) एवं 18 (क) को संशोधित समझा जाय।
6. अभ्यर्थी के चयन की सूचना चयनित अभ्यर्थी निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं मण्डलीय अपर निदेशक को इन सभी माध्यमों, रजिस्टर्ड डाक, ई–मेल, एस0एम0एस0 एवं वेब–साइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। तद्नुसार प्रस्तर–10(घ), 17(घ) एवं 19(1) को संशोधित समझा जाय।
7. परन्तु मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक/शिक्षकों के चयन के लिए पदों का विज्ञापन प्रकाशित करने के तीन माह के भीतर चयन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाय। यदि चयन की कार्यवाही पूर्ण न की जा सके तो पदों का पुनः विज्ञापन किया जायेगा। तद्नुसार 10(घ) के अन्त में यह परन्तुक पढ़ा जाय।

8. विनियम के अध्याय–2 के अन्त में परिशिष्ट–घ गुण विषयक अंकों का आंगणन निम्नवत् किया जाएगाः–

(A) हाईस्कूल/इण्टर संस्था के प्रधान के लिए गुण विषयक अंक :

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक	80
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिए जाने वाले अधिकतम अंक	10
कुल अंक	90

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र :

स्नातक	–	$\frac{\text{प्राप्ताकों का प्रतिशत}\times 2}{10}$
स्नातकोत्तर	–	$\frac{\text{प्राप्ताकों का प्रतिशत}\times 2}{10}$
बी0एड0	–	$\frac{\text{प्राप्ताकों का प्रतिशत}\times 3}{10}$
पी0एच0डी/डी0लिट0	–	05
एम0एड0	–	05
अधिकतम	–	80

(B) इण्टरमीडिएट शिक्षकों के लिए गुण विषयक अंक :

–तदैव–

(C) हाईस्कूल के अध्यापकों के लिए गुण विषयक अंक :

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक	80
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिए जाने वाले अधिकतम अंक	10
कुल अंक	90

शैक्षिक उपलब्धि के गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र :

बी0एड0	–	$\frac{\text{प्राप्ताकों का प्रतिशत}\times 2}{10}$
सी0टी0ई0टी0/यू0टी0ई0टी0–II	–	$\frac{\text{प्राप्ताकों का प्रतिशत}\times 6}{10}$

(D) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के प्रधानाध्यापक व प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक के लिए गुण विषयक अंक :

–तदैव–

(E) मान्यता प्राप्त पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) के सहायक अध्यापक व प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राइमरी के सहायक अध्यापकों के लिए गुण विषयक अंक :

शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर अधिकतम गुण विषयक अंक	80
चयन समिति द्वारा साक्षात्कार में दिए जाने वाले अधिकतम अंक	10
कुल अंक	90

शैक्षिक आधार पर गुण विषयक अंकों के आंगणन हेतु सूत्र :

प्रशिक्षण — $\frac{\text{प्राप्ताकों का प्रतिशत} \times 2}{10}$

सी0टी0ई0टी0 / यू0टी0ई0टी0–I अथवा II, जो लागू हो : — $\frac{\text{प्राप्ताकों का प्रतिशत} \times 6}{10}$

परिशिष्ट–घ गुण विषयक अंकों का आंगणन करते समय परिशिष्ट–घ में उल्लिखित बिन्दु–1 से 6 तथा अनुभव प्रमाण–पत्र का प्रारूप विलोपित किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार विनियम के अध्याय–दो के परिशिष्ट–घ को तद्नुसार संशोधित समझा जाए।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

15 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1854 / VII–2 / 53–एम0एस0एम0ई0 / 2016–औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488 / सात–II–08 / 08, दिनांक 28.02.2008 द्वारा दिनांक 01.04.2008 से प्रभावी "विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2008" (यथासंशोधित 2011) के प्रस्तर 5(1) भूमि संसाधन विकास योजना शीर्षक के अन्तर्गत बिन्दु (VIII) निम्नवत् जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

बिन्दु (VIII)–"श्रेणी–ए व बी के जनपदों / क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु क्रय की गयी भूमि (वर्तमान में निर्धारित सीमा न्यूनतम 02 एकड़), जिसका उपयोग औद्योगिक प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सका है, को क्रेता द्वारा निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना के संबंध में अनुरोध किये जाने पर स्टॉम्प शुल्क की वसूली किये बिना निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अन्तर्गत निजी औद्योगिक आस्थान की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की जायेगी तथा निर्धारित मानकों एवं शर्तों के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करने पर राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि को निजी औद्योगिक आस्थान घोषित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त उद्योग स्थापना हेतु उक्त आस्थान में भूखण्ड क्रय करने पर अन्य उद्यमियों को भी स्टॉम्प शुल्क में छूट की सुविधा अनुमन्य करायी जायेगी परन्तु उक्त छूट केवल औद्योगिक उपयोग के लिये ही अनुमन्य होगी।"

अधिसूचना

18 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 97 / VII–2–17 / 63–उद्योग / 2011–श्री राज्यपाल महोदय, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं / पदों पर उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग सेवा नियमावली, 1993 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में संशोधन करने की दृष्टि से अग्रसारित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड उद्योग विभाग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना :

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश) उद्योग विभाग सेवा (संशोधन) नियमावली, 2016 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. नियम 3(क) का प्रतिस्थापन :

उत्तर प्रदेश उद्योग विभाग सेवा नियमावली, 1993 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 3(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्:–

		स्तम्भ–1		स्तम्भ–2	
नियम	पदनाम	*वर्तमान नियम*	(भर्ती का स्रोत)	*एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम*	(भर्ती का स्रोत)
नियम 3(क) परिशिष्ट "ख"	सहायक निदेशक जिसमें निम्नलिखित पद सम्मिलित होंगे:– (क) सहायक निदेशक, उद्योग (ख) प्रभारी महाप्रबन्धक (ग) प्रबन्धक (घ) सहायक निदेशक, हथकरघा	(एक)	50 प्रतिशत पद, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।	(एक)	50 प्रतिशत पद, प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा
		(दो)	41 प्रतिशत पद, उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सहायक प्रबन्धक एवं सांख्यकीय सहायक के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा	(दो)	31 प्रतिशत पद, उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सहायक प्रबन्धक के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा। अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर
		(तीन)	9 प्रतिशत पद उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, आयोग के परामर्श से पदोन्नति द्वारा	(तीन)	10 प्रतिशत पद उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सांख्यकीय सहायक (अपर सांख्यकीय अधिकारी) के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, आयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा

नियम	पदनाम	स्तम्भ–1 *वर्तमान नियम* (भर्ती का स्रोत)	स्तम्भ–2 *एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम* (भर्ती का स्रोत)
			(चार) 09 प्रतिशत पद उद्योग विभाग अधीनस्थ सेवा संवर्ग के सहायक विकास अधिकारी (प्रथम) के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त कार्मिकों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से, आयोग के परामर्श से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा

आज्ञा से,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1456/VIII/15–22(श्रम)/2013–कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) में प्रदत्त प्राविधानों के अन्तर्गत निम्नलिखित संस्थानों को कर्मचारी भविष्य निधि से पाँच वर्ष की छूट प्रदान करने पर श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबन्ध अधिनियम 1952 की धारा, जिसमें छूट प्रदान की जानी है	छूट की अवधि
1.	गुरू नानक 5th सेंचुरी स्कूल, मसूरी	धारा 17 (1)(ए)	पाँच वर्ष
2.	मैसर्स वाइन वर्ग स्कूल, मसूरी	धारा 17 (1)(ए)	पाँच वर्ष
3.	मैसर्स वुड स्टॉक स्कूल, मसूरी	धारा 17 (1)(ए)	पाँच वर्ष
4.	मैसर्स स्कालर्स होम स्कूल, देहरादून	धारा 17 (1)(ए)	पाँच वर्ष

2. उक्त छूट संबंधित संस्थानों को इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि छूट की अवधि में संस्थानों के निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी संस्थान को निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत अपने कार्मिकों को उनकी निधि के रख–रखाव तथा कर्मचारी भविष्य निधि के समानान्तर या अधिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराया जाना पाया जाता है तो तत्काल छूट समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

संशोधित अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1456/VIII/16–22(श्रम)/2013–अधिसूचना संख्या 334/VIII/15–22(श्रम)/2013, दिनाँक 09 मार्च, 2015 एवं संशोधित अधिसूचना संख्या 614/VIII/15–22(श्रम)/2013, दिनाँक 07 मई, 2015 द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के अन्तर्गत 06 संस्थानों को भविष्य निधि से दो वर्ष के लिए छूट प्रदान की गयी थी।

इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निम्न तालिका में उल्लिखित चार संस्थानों (क्रमांक 1 से 4) को भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 17(1)(ए) के अन्तर्गत दो वर्ष की छूट की सीमा को पाँच वर्ष के लिए तथा इसके साथ ही क्रमांक 05 पर उल्लिखित उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून को पूर्व अधिसूचना की धारा 17(1)ए में दी गयी दो वर्ष की छूट को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 के पैरा 27ए के अन्तर्गत कर्मचारी वर्ग हेतु छूट में परिवर्तित करते हुए पाँच वर्ष के लिए इस शर्त के साथ विस्तारित किया जाता है कि इस अवधि में उक्त संस्थानों के निरीक्षण के दौरान यदि किसी भी संस्थान को निर्धारित मापदण्डों के अन्तर्गत अपने कार्मिकों को उनकी निधि के रख–रखाव तथा उनको कर्मचारी भविष्य निधि के समानान्तर या अधिक सुविधाएँ उपलब्ध नहीं कराया जाना पाया जाता है तो तत्काल छूट समाप्त कर दी जायेगी।

क्र0 सं0	संस्थान का नाम	कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्णन उपबन्ध अधिनियम एवं योजना 1952 की धारा, एवं पैरा जिसमें छूट प्रदान की जानी है	छूट की अवधि
1.	मैसर्स दून स्कूल, देहरादून	धारा 17 (1)(ए)	पाँच वर्ष
2.	मैसर्स सैंट थॉमस कॉलेज, देहरादून	धारा 17 (1)(ए)	पाँच वर्ष
3.	मैसर्स वेल्हम गर्ल्स हाईस्कूल, देहरादून	धारा 17 (1)(ए)	पाँच वर्ष
4.	मैसर्स वेल्हम ब्वायज स्कूल, देहरादून	धारा 17 (1)(ए)	पाँच वर्ष
5.	उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून	धारा 27ए	पाँच वर्ष

इस संबंध में पूर्व में जारी अधिसूचना उक्त सीमा तक संशोधित समझी जायेगी। अधिसूचना की शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–5

अधिसूचना

04 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 58/XX(5)/17–02 (अर्द्ध सै0)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30, वर्ष 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन सैनिक कल्याण अनुभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 253/XXVII–5/16–13(1) अर्द्ध सै0/2016, दिनांक 29.02.2016 एवं गृह अनुभाग 5 की संशोधित अधिसूचना संख्या 1061/XX(5)/16–02(अर्द्ध सै0)/2016, दिनांक 15.11.2016 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ के ग्राम तड़ीगाँव पट्टी, मड़सौन, तहसील पिथौरागढ़ में सशस्त्र सीमा बल की 55वीं वाहिनी पिथौरागढ़ में नावघर की स्थापना हेतु 0.038 हे0 निजी भूमि की आवश्यकता है। अतः पिथौरागढ़ के कलेक्टर को निर्देश देते हैं कि उक्त भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

चूँकि, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेत्तर यह भी निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है, तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ़ के कलेक्टर धारा 21 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा कर सकते हैं।

अनुसूची

जिला District	परगना Pargana	मौजा Mauza	प्लॉट संख्या Plot no.	क्षेत्रफल (हे0) Area (Hect.)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	पिथौरागढ़	तड़ीगाँव	911	0.008
Pithoragarh			912	0.030
		योग	02	0.038

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलेक्टर, पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

डॉ0 उमाकांत पंवार,
प्रमुख सचिव।

वित्त अनुभाग–8

विज्ञप्ति/पदोन्नति

06 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 22/2017/01(100)/XXVII(8)/02, टी0सी0–तात्कालिक प्रभाव से वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चयन वर्ष 2016–17 में सहायक आयुक्त वेतनमान ₹ 15,600–39,100+ग्रेड वेतन ₹ 5,400 के रिक्त पद के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 322/24/ई0–1/डी0पी0सी0/2016–17, दिनांक 02.01.2017 के माध्यम से प्राप्त संस्तुति के अनुसार नियमित चयनोंपरान्त निम्न वाणिज्य कर अधिकारी को एतद्द्वारा पदोन्नत करते हुए नियमानुसार 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जाता है:–

चयन वर्ष 2016–17

1. कु0 पूजा पाण्डे

2. उक्त सम्बन्धित पदोन्नत अधिकारी के नियमित तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

28 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 698/VI–2/2016–37(युवा कल्याण)2001–"उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद्" में उपाध्यक्ष (कनिष्ठ) के पद पर श्री अयाजुउद्दीन सिद्दीकी को नामित/नियुक्ति किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव।

शुद्धि–पत्र

28 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 691/VI–2/2016–37 (युवा कल्याण)2001–उत्तराखण्ड राज्य युवा कल्याण सलाहकार परिषद् में सदस्यों की नियुक्ति/तैनाती विषयक पूर्व निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 687/VI–2/2016–37(युवा कल्याण)2001, दिनांक 21.12.2016 में प्रस्तर–1 के क्रमांक–2 पर अंकित श्री राकेश धवन, जिला देहरादून के स्थान पर श्री राजेन्द्र धवन, जिला देहरादून पढ़ा जाये।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 21.12.2016 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये।

शैलेश बगौली,
प्रभारी सचिव।

कार्मिक अनुभाग–1

कार्यालय आदेश

19 जनवरी, 2017 ई0

संख्या 72/XXX–1–17–23 (02) 2009–उत्तराखण्ड शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति संख्या 2143/तीस–123(2)/2009/1962/09, दिनांक 24.11.2009 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड राज्य सम्मिलित परीक्षा 2004 के आधार पर चयनित श्री राहुल कुमार गोयल को उत्तराखण्ड सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में डिप्टी कलेक्टर के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ नियुक्ति प्रदान की गयी कि श्री राहुल कुमार गोयल की जाति प्रमाण–पत्र की वैद्धता के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 215/एस0बी0/2009, राहुल कुमार गोयल बनाम राज्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेशों के अधीन होगी।

2. मा0 उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका संख्या 215/एस0बी0/2009, राहुल कुमार गोयल बनाम राज्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2011 को आदेश पारित किये गये हैं कि "the competent authority to issue an appointment letter to the petitioner, provided the petitioner has been selected, proceeding on the basis that he belongs to the community, which has been acknowledge and certified in the certificate issued to that effect by a competent authority." मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध शासन द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एस0एल0पी0 (सिविल), संख्या 13870/2011 राज्य सरकार बनाम राहुल कुमार गोयल एवं अन्य योजित की गयी, उक्त याचिका को मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.11.2011 द्वारा खारिज कर दिया गया है।

3. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2011 के क्रम में श्री राहुल कुमार गोयल, पी0सी0एस0 के अनुरोध दिनांक 01.07.2016 पर सम्यक् विचारोंपरान्त श्री गोयल के नियुक्ति पत्र संख्या 2143/तीस–1–23(2)/2009/1962/09, दिनांक 24.11.2009 में उल्लिखित प्रतिबन्ध को समाप्त करते हुए उक्त आदेश के प्रस्तर–2 को विलोपित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4. शासन के नियुक्ति/विज्ञप्ति संख्या 2143/तीस–123(2)/2009/1962/09, दिनांक 24.11.2009 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह ह्याँकी,
प्रभारी सचिव।

गृह अनुभाग–2

कार्यालय आदेश

29 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 2693/XX–2/16/08(11)2016–उत्तराखण्ड पुलिस संचार शाखा में तैनात अपर राज्य रेडियो अधिकारियों की तैनाती विषयक कार्यालय आदेश सं0 2547/XX–2/16/08(11)2016, दि0 20.12.2016 को संशोधित करते हुए, तत्काल प्रभाव से निम्न तालिकानुसार अधिकारियों के नाम के सम्मुख स्तम्भ–5 में अंकित स्थानों पर तैनात किया जाता है:–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	संशोधित तैनाती
1	2	3	4	5
1.	श्री वेदपाल सिंह नेगी	संचार मुख्यालय	पौड़ी	पौड़ी
2.	श्री उमेशचन्द्र जोशी	पुलिस मुख्यालय	पिथौरागढ़	पुलिस संचार प्रशिक्षण केन्द्र
3.	श्री बसन्त बल्लभ तिवारी	चम्पावत	देहरादून	पिथौरागढ़
4.	श्री जसवीर सिंह	देहरादून	प्रशिक्षण केन्द्र, संचार मुख्यालय	देहरादून

पूरन सिंह रावत,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 हिन्दी गजट/115–भाग 1–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 04 फरवरी, 2017 ई0 (माघ 15, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

January 07, 2017

No. 01/UHC/Admin.A/2017--Sri Shamsher Ali, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is transferred and posted as Additional District & Sessions Judge, Bageshwar, in the vacant Court, with immediate effect.

By Order of the Court,
Sd/-
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

NOTIFICATION

January 07, 2017

No. 02/UHC/XIV-a/46/Admin.A/2012--Sri Sanjeev Kumar, Principal Magistrate/Judicial Magistrate (1st Class), Juvenile Justice Board, Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 13 days *w.e.f.* 12.12.2016 to 24.12.2016 with permission to prefix 10th and 11th December, 2016 as second Saturday and Sunday holidays, suffix 25.12.2016 to 31.12.2016 as winter holidays and 01.01.2017 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

January 07, 2017

No. 03/UHC/XIV-a/32/Admin.A/2015--Ms. Meenal Chawla, Civil Judge (Jr. Div.), Ranikhet, District Almora is hereby sanctioned earned leave for 19 days *w.e.f.* 05.12.2016 to 23.12.2016 with permission to prefix 04.12.2016 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

January 09, 2017

No. 04/UHC/Admin.A/2017--Sri Pradeep Kumar Mani, Joint Director, Uttarakhand Judicial and Legal Academy, Bhowali, District Nainital (under suspension), who is presently attached to District Court, Nainital is now attached to District Court, Champawat, with immediate effect.

Further, District Judge, Champawat is requested to provide official accommodation to Sri Pradeep Kumar Mani at Champawat.

NOTIFICATION

January 09, 2017

No. 05/UHC/Admin.A/2017--Ms. Durga, Judicial Magistrate-II, Haldwani, District Nainital (under suspension), who is presently attached to District Court, Nainital is now attached to District Court, Almora, with immediate effect.

Further, District Judge, Almora is requested to provide official accommodation to Ms. Durga at Almora.

By Order of the Court,
Sd/-
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

NOTIFICATION

January 12, 2017

No. 08/UHC/XIV-a/38/Admin.A/2012--Ms. Sachi Sharma, Judicial Magistrate, Kashipur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 32 days *w.e.f.* 23.11.2016 to 24.12.2016 with permission to suffix 25.12.2016 to 31.12.2016 as winter holidays and 01.01.2017 Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

NOTIFICATION

January 12, 2017

No. 09/UHC/Admin(A)/2017--Sri Bansidhar Pandey is hereby promoted to the post of Bench Secretary, Grade-I in the pay scale of pay in pay band ₹ 15,600-39,100 with grade pay ₹ 6,600 in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital with effect from the date of his taking over charge.

Sri Bansidhar Pandey on being appointed on promotion as Bench Secretary Grade-I will be on probation for the period of one year. The work, conduct, skill and overall performance of Sri Bansidhar Pandey promoted as Bench Secretary Grade-I, will be monitored by Hon'ble Judge, with whom he is attached and in case he is at pool, then by Registrar General. At the end of the probation period, Hon'ble Judge or Registrar General, as the case may be, will submit a report about him. The appointing authority, may, for reasons to be recorded in writing, extend the period of probation in his case specifying the date up to which the extension is granted. In case it is found that the official has not made sufficient use of the opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, then action will be taken against him as per Rule 32(4) of the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 and the official will be reverted back to his substantive post.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,
Sd/-
NARENDRA DUTT,
Registrar General.

NOTIFICATION

January 19, 2017

No. 12/UHC/XIV/14/Admin.A/2008--Sri Dharmendra Kumar Singh, 1st Additional Civil Judge (Sr Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 02.01.2017 to 11.01.2017 with permission to prefix 25.12.2016 to 01.01.2017 as winter holidays and Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,
Sd/-
Registrar (Inspection).

CHARGE CERTIFICATE

January 13, 2017

(Taking over charge)

No. 255/UHC/Admin.A/2017--CERTIFIED that the Office of the Bench Secretary Gr. I, High Court of Uttarakhand, Nainital, was taken over *vide* Notification No. 09/UHC/Admin.A/2017, dated 12th January, 2017, as herein denoted in the afternoon of 12th January, 2017.

BANSHIDHAR PANDEY,
Relieving Officer.

Countersigned,

NARENDRA DUTT,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

January 13, 2017

(Taking over charge)

No. 256/UHC/Admin.A/2017--CERTIFIED that the Office of the Section Officer, High Court of Uttarakhand, Nainital, was taken over *vide* Notification No. 10/UHC/Admin.A/2017, dated 12th January, 2017, as herein denoted in the forenoon of 13th January, 2017.

DEEPAK KUMAR BHASIN,
Relieving Officer.

Countersigned,

NARENDRA DUTT,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital.

CHARGE CERTIFICATE

(On Taking charge)

January 13, 2017

No. 257--This is to certify that the charge of the office of Private Secretary in the establishment of the High Court of Uttarakhand, Nainital was taken over under the order of the High Court vide Notification No 11/UHC/Admin.(A)2017, dated 12.01.2017, as herein denoted in the afternoon of 12.01.2017.

RAJINI GUSAIN,
Relieving Officer.

Countersigned,

NARENDRA DUTT,
Registrar General,
High Court of Uttarakhand, Nainital.

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

18 जनवरी, 2017 ई0

सं0 F-9(25)(I)/RG/UERC/2017/1596–विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 (मुख्य विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2017 होगा।

(2) ये विनियम इनकी अधिसूचना की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 48 (1) में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 48 के उप–विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः अर्थात् :–

(1) ओपन साईकल गैस टर्बाइन/कम्बाइन्ड साईकल उत्पादक स्टेशनों के लिये मानकीय ओ एंड एम व्यय निम्नानुसार होंगेः

वर्ष	गैस टर्बाईन/कम्बाइन्ड साईकल उत्पादक स्टेशन		लघु गैस टर्बाईन ऊर्जा उत्पादक स्टेशन (50 मेगावाट यूनिट आकार से छोटे)	एडवॉन्स एफ क्लास मशीनंस
	10 वर्षों के लिये वारंटी स्पेयर्स के साथ	वारंटी स्पेयर्स के बिना		
2015–16	9.25	13.87	16.83	28.36
2016–17	9.86	14.79	17.95	30.29
2017–18	10.52	15.77	19.14	32.35
2018–19	11.22	16.82	20.41	34.56

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

January 18, 2017

No. F-9(25)(I)/RG/UERC/2017/1596--In exercise of powers conferred under section 61 read with section 181 of the Electricity Act, 2003, and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in the UERC (Terms and Conditions for Determination of Multi Year Tariff) Regulations, 2015 (Principal Regulations), namely:

1. Short Title, Commencement and Interpretation:

(1) These Regulations may be called the UERC (Terms and Conditions for Determination of Multi Year Tariff) (First Amendment) Regulations, 2017.

(2) These Regulations shall come into force from the date of notification.

2. Amendment in Regulation 48(1) of the Principal Regulations:

For Sub-Regulation (1) of Regulation 48 of the Principal Regulations, the following shall be substituted, namely:

(1) Normative O&M Expenses for Open Cycle Gas Turbine/Combined Cycle generating stations shall be as under:

(In Rs. Lakh/MW)

Year	Gas Turbine/ Combined Cycle generating stations		Small gas turbine power generating stations (less than 50 MW Unit size)	Advance F Class Machines
	With warranty spares for 10 years	Without warranty spares		
2015-16	9.25	13.87	16.83	28.36
2016-17	9.86	14.79	17.95	30.29
2017-18	10.52	15.77	19.14	32.35
2018-19	11.22	16.82	20.41	34.56

By Order of the Commission,

NEERAJ SATI,
Secretary.

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

10 जनवरी, 2017 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्या0/प्रव0), वाणिज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक/5379/आयु0कर उत्तरा0/वाणि0क0/विधि–अनुभाग/पत्रा0/16–17/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 11/2017/19(120)/XXVII(8)/2012, दिनांक 03 जनवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2015–2016 से संबंधित वार्षिक विवरणी बिना विलम्ब शुल्क के दिनांक 31.03.2017 तक दाखिल किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

03 जनवरी, 2017 ई0

सं0 11/2017/19(120)/XXVII(8)/2012–चूँकि, राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम सं0 27, वर्ष 2005) की धारा 23 की उपधारा (1) तथा धारा 35, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम सं0 1, वर्ष 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा 21 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सहर्ष आदेश देते हैं कि उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियम, 2005 के नियम 11 में किसी बात के होते हुए भी कर निर्धारण वर्ष 2015–2016 से संबंधित वार्षिक विवरणी दिनांक 31.03.2017 तक बिना विलम्ब शुल्क के जमा की जा सकेगी। दिनांक 31.03.2017 के उपरान्त अधिनियम एवं नियम में दिए गए प्राविधानों के अनुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,

सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 11/2017/19(120)/XXVII(8)/2012, dated January 03, 2017 for general information.

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 of the Uttarakhand Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 27 of 2005), read with section 21, of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904) (as applicable to the State of Uttarakhand), notwithstanding contained in Rule 11 of the Uttarakhand Value Added Tax Rule, 2005, the Governor is pleased to declare that the annual return related to the assessment year 2015-16 may be filed upto 31.03.2017 without any late fee. After 30.03.2017, late fee shall be payable as per provisions of VAT Act and Rules.

By Order,

AMIT SINGH NEGI,

Secretary.

विपिन चन्द्र,

एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,

मुख्यालय, उत्तराखण्ड।

कार्यालय जिलाधिकारी, गढ़वाल

शुद्धि–पत्र

23 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 35/आठ–भू0अ0 (2015–16) पौड़ी–भूमि अर्जन के कारण लगभग 22 (बाईस) कुटुम्बों के विस्थापन होने की सम्भावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिये गये है:–

उपरोक्त का संशोधन (शुद्धि) निम्नवत् है:–

ग्राम चिलगढ़ मल्ला, अधिसूचना संख्या 16/आठ–भू0अ0(2015–16) पौड़ी, दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने की सम्भावना शून्य।

ग्राम जनासू, अधिसूचना संख्या 17/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण लगभग 02 (दो) कुटुम्बों के विस्थापन होने की सम्भावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिये गये हैं।

ग्राम श्रीकोट गंगानाली, अधिसूचना संख्या 18/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने की सम्भावना शून्य।

ग्राम सौड, अधिसूचना संख्या 19/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण लगभग 12 (बारह) कुटुम्बों के विस्थापन होने की सम्भावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिये गये हैं।

ग्राम पन्थ लग्गा डुंगरीपन्थ, अधिसूचना संख्या 20/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने की सम्भावना शून्य।

ग्राम बागवान लग्गा चोपडा, अधिसूचना संख्या 21/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने की सम्भावना शून्य।

ग्राम पुराना श्रीनगर, अधिसूचना संख्या 22/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने की सम्भावना शून्य।

ग्राम दिखोल्यूँ, अधिसूचना संख्या 23/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने की सम्भावना शून्य।

ग्राम डुंगरीपन्थ, अधिसूचना संख्या 24/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण लगभग 22 (बाईस) कुटुम्बों के विस्थापन होने की सम्भावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता के कारण नीचे दिये गये हैं।

ग्राम चिलगढ़ तल्ला, अधिसूचना संख्या 25/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने की सम्भावना शून्य।

ग्राम स्वीत, अधिसूचना संख्या 26/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने की सम्भावना शून्य।

ग्राम कोठड, अधिसूचना संख्या 27/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने की सम्भावना शून्य।

ग्राम ढामक, अधिसूचना संख्या 28/आठ–भू0अ0(2015–16), दिनांक 23 नवम्बर, 2016, भूमि अर्जन के कारण विस्थापित होने की सम्भावना शून्य।

तद्नुसार उपरोक्त अधिसूचना इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),
कलेक्टर,
(वास्ते भूमि अर्जन प्रयोजनार्थ)
गढ़वाल।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 हिन्दी गजट/115–भाग 1–क–2017 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।